

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2026 (वैशाख 8, 1948)

नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण हेतु देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने संबंधी

शासकीय संकल्प

अप्रैल, 2026 सत्र में माननीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

“इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।”

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा